



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 23.02.2023

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी खलील को 03 वर्ष तथा आरोपी अनीस को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त खलील पुत्र नफेदीन निवासी बस्ती शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत तथा अनीस पुत्र अकबर निवासी ग्राम निवाड़ी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.02.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0-03 विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त खलील को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त अनीस को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1- खलील पुत्र नफेदीन निवासी बस्ती शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2- अनीस पुत्र अकबर निवासी ग्राम निवाड़ी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

अभियुक्त खलील का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 462/2020 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 757/2020 धारा 394/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 782/2020 धारा 307/34 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 383/2020 धारा 25/27/3 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 785/2020 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 253/2020 धारा 394/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

अभियुक्त अनीस का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 757/2020 धारा 394/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 761/2020 धारा 25/27/4 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 253/2020 धारा 394/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 01/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 23.02.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 41/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.02.2023 को थाना रमाला पर वादी दानिश मौ0 पुत्र मौ0 यासीन ग्राम असारा थाना रमाला ने सूचना दी कि अभियुक्त आस मौ0 पुत्र इकबाल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला ने उसको गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला



पर मु0अ0सं0 41/23 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 41/23 धारा 307/504/506 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आस मौ0 पुत्र इकबाल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना रमाला।
- 2-है0का0 376 राजीव थाना रमाला।
- 3-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 23.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

मदनपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी नई बस्ती पुराना गौरीपुर थाना बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 25 राजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.02.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/2023 धारा 420/466 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से फर्जी 05 डी0एल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 22.02.2023 को वादी श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री नत्थीलाल एच0आर0 मैनेजर EMRI ग्रीन हैल्थ सर्विसेज द्वारा भोले भाले लोगों को भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी करके फसाने व फर्जी डी0एल0 बनवाकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त ओमकार पुत्र रामपाल निवासी बुदहेती फाजलपुर थाना जुनाबई जनपद सम्भल को EMRI ग्रीन हैल्थ स्टाफ की मदद से पकड़ कर थाने लाया गया । थाना



कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त ओमकार को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से फर्जी 05 डी0एल0 बरामद तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 171/2023 धारा 420/466 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-ओमकार पुत्र रामपाल नि0 बुदहेती फाजलपुर थाना जुनाबई जनपद सम्भल उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- फर्जी 05 डी0एल0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस -

- 1-का0 496 सुनील कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 23.02.23

थाना बालैनी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

परवेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम मंवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह नादर थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 23.02.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 145/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 145/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 20-02-2023 को बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-सोनू पुत्र किशोर निवासी कस्बा व थाना देवगाँव जनपद आजमगढ, हाल निवासी टीला कोठी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।
- 2-सचिन पुत्र किशोर निवासी कस्बा व थाना देवगाँव जनपद आजमगढ, हाल निवासी टीला कोठी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना बडौत ।
- 2-का0 524 सौपाल सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 23.02.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 160/23 धारा
352/323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.02.2023 को थाना बडौत पर वादी श्री मोहित पुत्र राजवीर निवासी मुज्जपर-पौईश थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-आकाश, 2.विकाश व 3.लवकुश पुत्रगण शौकिन्द्र निवासीगण सराये रोड़



निकट फाटक कस्बा व थाना बडौत व 01 अज्ञात व्यक्ति ने गन्ने के रश की ठैली ना लगाने को लेकर वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डो से मारपीट की जिससे वादी का भाई अनुज गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 160/23 धारा 352/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 160/23 धारा 352/323/504/506/308 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आकाश पुत्र शौकिन्द्र निवासी सराये रोड़ निकट फाटक कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-विकास पुत्र शौकिन्द्र निवासी सराये रोड़ निकट फाटक कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत ।

2-है0का0 120 मनोज कुमार थाना बडौत ।

3-का0 800 घनेन्द्र सिंह थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनाँक 23.02.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता:-

1- निशान्त पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-आकाश पुत्र निकसन निवासी ग्राम आर्दश नगला थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना छपरौली ।
- 2-है.का. 353 नरेश कुमार थाना छपरौली ।
- 3-है.का. 326 मनीष थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 23.02.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र सौहन्दर निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री अमित कुमार।

2-है०का० 139 चौब सिंह।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.02.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 58/23 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 23.02.2023 को वादिया की लडकी के साथ घर में घुसकर छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त सहरोज पुत्र फजरु निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर को वादिया व जनता द्वारा पकड़ कर थाने लाया गया । थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा अभियुक्त सहरोज को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 58/23 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सहरोज पुत्र फजरु निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस -

1-का0 1013 गौरव ।

2-एचजी 787 मौ0इस्लाम ।